

आम सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम :होन्हे एवं नौडीहा ,थाना :टंडवा ,थाना सं : 50 एवं 32 ; जिला :-चतरा, (झारखण्ड) के कोयला धारक अधिनियम(अर्जन एवं विकास), 1957 {CBA (A&D) Act 1957}, SO संख्या. 996 (अ) दिनांक 01.3.2024 के तहत CCL के द्वारा अधिग्रहित भूमि के एवज में भूमि-मुआवजा के लिए दावा CCL के समक्ष पेश कि गयी है जिसका कि जाँच एवं सक्षम पदाधिकारी के द्वारा सैद्धान्तिक रूप से सहमती हेतु प्रक्रिया जारी है .आवेदक के अनुसार भू स्वामी का विवरण व भूमि मुआवजे की गणना की गई राशि इस प्रकार है I

क्र० सं०	अधिसूचना संख्या कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास) 1957	ग्राम	भूमि का प्रकार	खाता सं०	खेसरा सं०	दावित रकवा (एकड़ में)	खतियानी रैयत का नाम जिसके लिए मुआवजा का आकलन प्रस्तावित है	प्रस्तावित मुआजजा राशि (रुपया में)
1	996 (अ) दिनांक . 01.3.2024	नौडीहा	रैयती	16	116	0.10	सीता गंडू , शिवनाथ गंडू	90290.00
2				16	117	0.30	चरक गंडू , बरहन गंडू	270870.00
3				2	120 (P)	0.51	सीता गंडू , शिवनाथ गंडू	460479.00
4				5	123	0.70	हरीबकास यादव	632030.00
कुल						1.61		1453669.00
1	996 (अ) दिनांक . 01.3.2024	होन्हे	रैयती	32	38	1.78	मनपरन पिता खेदन महतो	1607162.00
2				38	39	0.50	प्रेम महतो पिता मेघन महतो	451450.00
3				16	11 (P)	0.30	बंधन महतो पिता आशा महतो	270870.00
4				22	28(P)	0.19	सुगन,फुदन पेशरान लछु महतो, बरजू महतो पिता आशा महतो	171551.00
5				16	29(P)	0.34	बंधन महतो पिता आशा महतो	306986.00
6				12	32 (P)	0.04	प्रभु महतो , भागीरथ महतो , सुखलाल महतो	36116.00
7				15	33(P)	0.34	बिगन महतो पिता हेमन महतो	306986.00
8				32	34 (P)	0.25	मनपरन पिता खेदन महतो	225725.00
कुल						3.74		3376846.00
कुल योग						5.35		4830515.00

अगर उक्त विवरण ,दावा अथवा मुआवजा राशि पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा या आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से 10(दस) के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप में कार्यालय परियोजना पदाधिकारी आमपाली परियोजना, कार्यालय महाप्रबंधक, आमपाली चन्द्रगुप्त क्षेत्र या महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष) भूमि एवं राजस्व, सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त 10(दस) दिनों के अंदर, इस सूचना से संबंधित कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त वर्णित भूमि-मुआवजा सैद्धान्तिक रूप से सहमती हेतु प्रस्ताव पर किसी को भी, कोई भी प्रकार का, किसी भी बिंदु पर,कोई आपति नहीं है।

महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व)

सी.सी.एल, राँची